



# राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फ़ैक्स: 0522-2307798 e-mail: [nulmup@gmail.com](mailto:nulmup@gmail.com) website: [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org)

पत्रांक: ९०३ / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH)

दिनांक- 1-12-17

सेवा में,

1. जिलाधिकारी /अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण- इलाहाबाद, आगरा, एटा, शाहजहांपुर

2. अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद- एटा, शाहजहांपुर

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय" योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय" योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नगरों में शहरी बेघरों के लिए आश्रय के निर्माण हेतु प्राप्त परियोजना की स्वीकृति "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" द्वारा प्रदान की गयी है:-

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 23.10.17 का कार्यवृत्त जारी किये जाने की संख्या एवं दिनांक	शहर का नाम	क्षमता	स्वीकृत निर्माण लागत	पांच वर्षों के संचालन और अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि	निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि	निर्माण कार्य हेतु प्रथम की किरत की धनराशि (40% व 50%)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	715/241/NULM/तीन/2001एस०यू०एच० दिनांक-16.11.17	इलाहाबाद- बघम्बरी रोड	117	329.77	80.71	12 माह	131.90 (40%)
		इलाहाबाद- अल्लापुर	50	102.64	41.42	12 माह	41.06 (40%)
		इलाहाबाद- मुण्डेशा चुंगी बाजार	30	23.13	29.74	04 माह	11.57 (50%)
		इलाहाबाद- नुरुल्ला रोड	55	40.91	44.96	04 माह	20.46 (50%)
		इलाहाबाद- यमुना बैंक रोड	40	40.48	35.40	04 माह	20.24 (50%)
		इलाहाबाद- लीडर रोड-7, रेलवे स्टेशन के सामने	36	30.07	30.09	04 माह	15.03 (50%)
		आगरा- पीर कल्यानी	35	20.87	21.00	06 माह	10.44 (50%)
		एटा- जिला अस्पताल	35	133.73	27.45	09 माह	पूर्व में अवमुक्त धनराशि में से समायोजन कर अवशेष धनराशि वापसी के निर्देश
		शाहजहांपुर- अजीजगंज	50	163.28	35.00	09 माह	65.31 (40%)

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं की उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. प्रकरण के मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई०आर० कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी०पी०ओ०/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई- सूडा उ०प्र० को उपलब्ध कराना होगा।
3. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
4. निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में स्वीकृत तिथि से 01 माह के भीतर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ०प्र० को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
5. निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का गठन प्लिंथ एरिया रेट पर किया गया है, उन परियोजनाओं की विस्तृत आगणन SOR के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले डी०पी०आर० में विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य होगा।
6. हडको प्रतिनिधि द्वारा इलाहाबाद में दो नये निर्माण परियोजनाओं की लागत में प्रति व्यक्ति लागत भिन्न होने के दृष्टिगत की गयी टिप्पणी के अनुपालन में विस्तृत आगणन नियमानुसार तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रति व्यक्ति लागत भिन्न होने के स्पष्ट कारणों का भी उल्लेख करते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को सी०एण्ड डी०एस० द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. निर्देश दिये गये कि सभी निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र०, जल निगम द्वारा वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुचारु रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
8. निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में प्रस्तावित किचेन में वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
9. निर्देश दिये गये कि सभी उच्चीकरण एवं नये निर्माण के आश्रय गृहों में एल०ई०डी० टी०वी० की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करायी जाये।
10. गाइडलाइन के अनुसार आश्रय गृह संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही आश्रय निर्माण के साथ-साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व आश्रय व्यवस्था प्रबन्धन समिति (Shelter Management Committee) का गठन, अपेक्षित स्टाफ की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।
11. निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ-साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

13. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
14. स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
16. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा। साथ ही समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी०डब्लू०डी० दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
18. उ०प्र० पी०डब्लू०डी० द्वारा जी०एस०टी० लागू होने के उपरान्त निर्धारित की जाने वाली दर अनुसूची के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।
19. स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य/उच्चीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना होगा विशेष रूप से इलाहाबाद हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं के निर्माण/उच्चीकरण के कार्य अर्द्ध कुम्भ 2019 के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा से पूर्व पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ।
5. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई- एटा, शाहजहांपुर, आगरा एवं इलाहाबाद।
6. परियोजना अधिकारी, डूडा एटा, शाहजहांपुर, आगरा एवं इलाहाबाद।
7. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक